न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—11/2017 (2017/00167) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रामदेवजी स्थान मन्दिर जरिये पुजारी जयराम पिता हजारी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—सरंपच ग्राम पंचायत बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—मोहनलाल पिता रायमल अचारज निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक—20.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कारोल तहसील रायपुर में रामदेवजी का एक स्थान करीब 70—80 वर्षो से बना हुआ है तथा प्राचीन स्थान है जिसके चारो तरफ पक्का निमार्ण किया हुआ है जो कालान्तर में कुछ गिर गया है व कुछ बाकी है तथा उक्त स्थान ग्रामवासियो के आसपास आस्था का स्थान है। उक्त मन्दिर हाल आराजी संख्या 112 रकबा 0.01 है0 में दर्शित है तथा उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज है जिसके साबिक नम्बर 58 रकबा 1 बिस्वा है। उक्त मन्दिर मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेखो में फीट नही है व वर्तमान नक्शा मौके की स्थिति के विपरीत बनाया गया है जबकि भू—प्रबन्ध अधिकारियो को मौके की स्थिति के अनुसार ही फीट करना चाहिये जो त्रुटिवश आराजी संख्या 114 रकबा 0.108 है0 में फीट कर दिया है जबकि मौके पर मन्दिर बना हुआ है व विपक्षी संख्या 1 का आराजी संख्या 114 के रकबे 0.01 है0 में कभी कोई दखल नही रहा है तथा उक्त आराजी को दुरस्त करने से व आराजी संख्या 112 विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज करने व आराजी संख्या 114 में 0.01 है0 जिसमें मौके पर मन्दिर बना हुआ है उसे बिलानाम सरकार दर्ज करने से किसी भी पक्ष के रकबे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही होगा। अतः सादर प्रार्थना है कि मौके की स्थिति की पैमाईश कराकर हाल आराजी संख्या 112 को दुरस्त कराया जाकर 114 में फीट कर रकबा 0.01 है0 बिलानाम दर्ज किया जावे व आराजी संख्या 112 को विपक्षी संख्या 3 के नाम दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना में विपक्षी क्रमांक 1 व 2 फोरमल पक्षकार है व विपक्षी संख्या 3 की ओर से पत्रावली पर जवाब के रूप में निवेदन किया कि हमारे खाते में जितना रकबा है उसमें कोई कमी नही हो और मौके पर मौका रिपोर्ट के अनुसार जहां रामदेवजी के स्थान का चबुतरा बना हुआ है उस स्थान के रकबे को बिलानाम दर्ज करते हुए इस रकबे की कमी की पूर्ति आराजी नम्बर 113 की उत्तरी पश्चिमी कोने की सीमा से से उत्तरी पूर्वी कोने तक की मेड़ के सहारे सहारे आराजी नम्बर 114 में मिलाते हुए की जावे इसी के साथ आराजी नम्बर 112 का रकबा आराजी नम्बर 113 में शुमार किया जावे जिससे आराजी नम्बर 113 एवं 114 के खातेदार के रकबे में किसी प्रकार की कमी नही हो मौके पर रामदेवजी का स्थान आराजी 114 में स्थित होना स्वीकार किया।

तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्रावली पर जवाब के रूप में अंकित किया कि उक्त दुरस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होता है। न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट चाहने पर तहसीलदार रायपुर द्वारा मोका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली है तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि रेकार्ड अनुसार ग्राम कारोल के खसरा नम्बर 112 में रामदेवजी स्थान की जगह दर्ज है परन्तु मौके पर खसरा नम्बर 112 रकबा 0.01 है0 पर देवस्थान का काई स्थान/चबुतरा नही होकर पड़त पड़ी हुई है जो खसरा नम्बर 113 के खातेदार के कब्जे मे ही है और साथ ही अंकन किया कि प्रार्थी एवं ग्रामवासियो द्वारा बताया कि रामदेवजी का चबुतरा जो मौके पर बना हुआ है वो खसरा नम्बर 114 में 0.01 है0 भूमि पर स्थित होकर 33 गुणा 33 वर्गफीट भूमि चबुतरे की पक्की दीवार कर बना रखा है। खसरा नम्बर 113 व 114 खातेदारी भूमि है। आराजी नम्बर 112 बिलानाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि साबिक आराजी नम्बर 58 रायमल पिता नगंजी के खातेदारी में दर्ज रकार्ड थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 114 दर्ज हुए। साबिक आराजी नम्बर 58 के नक्शे में रामदेवजी का स्थान होना प्रदर्शित है। विपक्षी कमांक 3 के द्वारा भी साबिक के अनुसार वर्तमान में रामदेवजी का स्थान आराजी नम्बर 114 मे ही स्थित होना स्वीकार करते हुए काफी पुराना स्थान होना माना एवं इस स्थान के रकबे की कमी विपक्षी संख्या 3 के खाते से होने से उस रकबे की पूर्ति की जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त विवरणानुसार विपक्षी कमांक 3 के जवाब एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व नक्शे में दुरस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का बागड़ ग्राम कारोल के नवीन आराजी नम्बर 114 रकबा 0.108 है0 में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार 0.01 है0 भूमि पर रामदेवजी का चबुतरा बना हुआ है उक्त चबुतरे के 0.01 है0 रकबे को आराजी नम्बर 114 से कमी करते हुए बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे और इस रकबे की कमी पूर्ति आराजी नम्बर 113 की उत्तरी पश्चिमी कोने की सीमा से उत्तरी पूर्वी कोने तक की मेड़ के संहारे सहारे आराजी नम्बर 114 में मिलाते हुए आराजी नम्बर 113 रकबा 0.38 है0 मे से 0.01 है0 भूमि खसरा नम्बर 114 के खातेदार के नाम दर्ज की जावे तथा आराजी नम्बर 113 के कमी रकबे 0.01 है0 की पूर्ति के रूप में आराजी नम्बर 112 रकबा 0.01 है0 भूमि आराजी नम्बर 113 के खातेदार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20-8-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–11/2017 (2017/00167) प्रार्थना पत्र

उनवान

1–रामदेवजी स्थान मन्दिर जरिये पुजारी जयराम पिता हजारी बलाई निवासी कारोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–सरंपच ग्राम पंचायत बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–मोहनलाल पिता रायमल अचारज निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि पटवार हल्का बागड़ ग्राम कारोल के नवीन आराजी नम्बर 114 रकबा 0.108 है0 में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार 0.01 है0 भूमि पर रामदेवजी का चबुतरा बना हुआ है उक्त चबुतरे के 0.01 है0 रकबे को आराजी नम्बर 114 से कमी करते हुए बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे और इस रकबे की कमी पूर्ति आराजी नम्बर 113 की उत्तरी पश्चिमी कोने की सीमा से उत्तरी पूर्वी कोने तक की मेड़ के सहारे सहारे आराजी नम्बर 114 में मिलाते हुए आराजी नम्बर 113 रकबा 0.38 है0 मे से 0.01 है0 भूमि खसरा नम्बर 114 के खातेदार के नाम दर्ज की जावे तथा आराजी नम्बर 113 के कमी रकबे 0.01 है0 की पूर्ति के रूप में आराजी नम्बर 112 रकबा 0.01 है0 भूमि आराजी नम्बर 113 के खातेदार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावें।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

20.8.2020
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 13:48:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: